

No.1787/X-M.K88-XXR(1)-84

Dated Lucknow, August 17, 1988

In exercise of the powers under section 13 of the Uttar Pradesh Cinema (Regulation) Act, 1955(U.P Act no.3 of 1956), the Governor is pleased to make the following rules:

THE UTTAR PRADESH CINEMA(REGULATION OF EXHIBITION BY MEANS OF VIDEO RULES, 1988)

CHAPTER I PRELIMINARY	
Short title, application and commencement	<p>1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation of exhibition by means of Video) Rules, 1988.</p> <p>(2) They shall apply to Video libraries and to exhibitions by means of Video in a permanent building with seating capacity not exceeding 125 and such exhibition in all temporary building.</p> <p><i>Note:</i> Exhibition by means of video in a Video Cinema with seating capacity exceeding 125 seats shall mutatis mutandis be governed and regulated by the Uttar Pradesh Cinematograph Rules, 1951 with such relaxations as may be granted by the State Government.</p> <p>(3) They shall come into force with effect from September, 1988.</p>
Definitions	<p>2. In these rules, unless the context otherwise requires-</p> <p>(a)'Act' means the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955;</p> <p>(b)'licence' means a written authorization by the licensing Authority to give exhibition by means of video or to operate or keep a Video Library granted in Form-II or Form-III or Form IV, as the case may be, appended to these rules;</p> <p>(c)'licensee' means a person who has been granted a licence and includes his agent appointed for the purpose under a power of attorney and whose appointment/has been intimated in writing to the</p>

	<p>Licensing Authority;</p> <p>(d) 'Licensing Authority' means the officer specified or authorized under section 4 of the Act;</p> <p>(e)'Permanent building' means a building which is constructed, for permanent use, with stone, mud, brick, mortar, cement or other non-inflammable material;</p> <p>(f)'Public service vehicle' has the meaning assigned to it in the Motor Vehicle Act, 1939;</p> <p>(g)'temporary building' means a building which is not a 'permanent building' and includes a booth, tent or a similar structure;</p> <p>(h)'Traveling Video Cinema' means a video cinema which gives exhibition by means of video in a temporary building;</p> <p>(i)'Video Cinema' means entire place licensed for exhibition by means of video in permanent building and includes appurtenances, plants and apparatus located therein;</p> <p>(j) Words and expressions used in these rules but not defined hereunder shall have the meaning assigned to them in the Act.</p> <p>(k)'Hotel' Means and establishment which provides facility of lodging and boarding on payment basis.</p> <p>(l) Local area shall have meaning assigned to it in the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979.</p> <p>3. No person shall be granted licence unless the licensing authority is satisfied that the provisions of the Act and these rules have been complied with.</p>	<p>Restrictions on the grant of licence</p>
<p>CHAPTER II</p>		
	<p>Requirements of a permanent building, seating etc, for a video cinema.</p> <p>4-(1)There shall be an independent entrance on the public thoroughfare on which the site of such building abuts.</p> <p>(2) The building shall be provided with open space of not less than 3 meters in width on any two sides, and open space of not less than 6 meters in width in the front for parking of vehicles. If the building is away from thoroughfare, the approach road shall not</p>	<p>Requirement of a permanent building</p>

	<p>be less than 3 metres in width.</p> <p>(3) The building-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Shall be well built, structurally safe and constructed of non-inflamable material. (ii) Shall be sufficiently ventilated. (iii) Shall have 1.6 meters wide verandah on anyone side of the doorways of the building. (iv) Shall have at least one doorway per 50 seats and in any case not less than two, fitted with door to open outwards and the size of the doors shall not be less than 1.95 metres in height and 1.34 metres in width. (v) The normal height of the roof or its immediate covering from the floor shall not be less than 3.5 meters with electric installations fitted at a height of 2.75 meters. (vi) Shall have the landings, doors, staircases, lobbies and corridors of not less than 1.34 metres in width. <p>(4) In case the auditorium is constructed on the first floor or the second of a building, it shall have 1.6 meters wide verandah on any two sides with at least two stair cases to ground floor on two different sides, out of which one should abut the main through fare. The width of the staircase shall not be less than 1.34 meters with 16cms. riser and 25cms. tread and there shall not be less than 3 and not more than 15 stairs at a stretch. The open space required under sub-rule(2) shall be provided on ground floor. The other requirements shall be the same as in the preceding sub-rules:</p> <p style="text-align: center;">Provided that the consent of the occupier of the ground floor for the construction, if any, shall be obtained in case the auditorium is constructed on the first floor.</p> <p>5- (1) The seats shall be firmly arranged and secured for public convenience.</p> <p>(2) The number of persons to be admitted into the auditorium shall be determined by calculating at the rate of 20 persons per 9 square metres of floor area.</p> <p style="text-align: center;">For the purposes of this sub-rule, floor</p>	<p style="text-align: center;">seating</p>
--	---	--

Ventilation	<p>area shall not include the area for entrances, passages, gangways, stage and all places to which the public are not admitted.</p> <p>(3) The Licensing Authority shall determine the maximum number of seats for each class separately and the same shall be specified in the licence and also prominently displayed near the entrance door of each class.</p> <p>(4) Every seat shall be of 0.45 meterX0.45 meter and shall have back support and arm-rests. It shall be battened together in complete lengths. The seating shall be properly arranged so as to leave free access to the exits.</p> <p>(5) There shall be an intervening space of at least 36 cms. between the back of one seat and front of the seat immediately behind, measured perpendicularly.</p> <p>(6) There shall be a passage of 80 cms. in width parallel to rows for every ten rows of seating accommodation.</p> <p>(7) There shall be at least one gangway. the gangway shall not be less than 0.90 meter in width and shall be so arranged that no seat shall be more than 10 seats away from the gangway.</p> <p>(8) The distance between the video screen and the first row of seats shall not be less than two metres and no person shall be admitted with such space.</p> <p>(9) The seats shall, not exceed the number specified below:</p>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="469 1574 938 1615">Width of television</th> <th data-bbox="938 1574 1034 1615">or</th> <th data-bbox="1034 1574 1289 1615">video screen</th> </tr> <tr> <th colspan="3" data-bbox="469 1615 1289 1655">Maximum seats</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="469 1664 938 1704">(i)Not exceeding-51.00cms</td> <td data-bbox="938 1664 1034 1704"></td> <td data-bbox="1034 1664 1289 1704">30 seats</td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 1704 938 1744">(ii)Not exceeding-67.50 cms</td> <td data-bbox="938 1704 1034 1744"></td> <td data-bbox="1034 1704 1289 1744">50 seats</td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 1744 938 1785">(iii)Not exceeding-77.50 cms</td> <td data-bbox="938 1744 1034 1785"></td> <td data-bbox="1034 1744 1289 1785">75 seats</td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 1785 938 1825">(iv)Not exceeding-100 cms</td> <td data-bbox="938 1785 1034 1825"></td> <td data-bbox="1034 1785 1289 1825">100 seats</td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 1825 938 1865">(v) exceeding-100 cms</td> <td data-bbox="938 1825 1034 1865"></td> <td data-bbox="1034 1825 1289 1865">125 seats</td> </tr> </tbody> </table> <p>6 (1) Except in the case of air-conditioned auditorium, at least one exhaust fan of 0.45 m. size shall be provided. The exhaust</p>		Width of television	or	video screen	Maximum seats			(i)Not exceeding-51.00cms		30 seats	(ii)Not exceeding-67.50 cms		50 seats	(iii)Not exceeding-77.50 cms		75 seats	(iv)Not exceeding-100 cms		100 seats	(v) exceeding-100 cms
Width of television	or	video screen																			
Maximum seats																					
(i)Not exceeding-51.00cms		30 seats																			
(ii)Not exceeding-67.50 cms		50 seats																			
(iii)Not exceeding-77.50 cms		75 seats																			
(iv)Not exceeding-100 cms		100 seats																			
(v) exceeding-100 cms		125 seats																			

<p>Sanitation</p> <p>Arrangement for drinking water</p> <p>Electric installation</p>	<p>fan shall always be kept working during the performance of the show.</p> <p>(2) One ceiling fan of at least 120cm(56") size shall be provided for every 25 seats or less.</p> <p>(3) Except in the case of airconditioned auditorium, there shall be opening of 929sq.cm. for every ten persons for natural ventilation purposes to ensure a balanced air supply.</p> <p>7. (1) At least two W.C and three urinals shall be provided, out of which one W.C. and one urinal shall be for exclusive use of ladies.</p> <p>(2) The latrines and urinals shall be cleaned and flushed immediately before and after each exhibition and disinfectants be used daily.</p> <p>(3) The entire premises including the auditorium of the cinema shall be lime washed or distempered and all iron and wood works be painted or varnished as the case may be at least once every year. The premises shall at all times be kept clean and free from dirt.</p> <p>8. Drinking water shall be provided in such manner and in such quantity as may be determined by the Licensing Authority.</p> <p>9. (1) There shall be a separate circuit controlled by a suitable linked switch for the supply of electricity to the video. The arrangement of emergency light such as torches etc. Shall be made available to meet requirements in the event of power failure.</p> <p>(2) Three pin plugs with the third pin effectively connected to earth shall be used.</p> <p>(3) Separate circuits shall be provided for lights, fans and other equipments.</p> <p>(4) An automatic voltage regulator or stabilizer which can provide an output of 230 volts shall be installed with the video equipment.</p>	
--	--	--

	<p>(5) A dim light by means of a bulb having power not below 25 watts and not more than 40 watts shall be kept lighted during exhibitions.</p> <p>(6) All the cables and wires used shall be of I.S.I grade and the wiring shall pass through conduct pipes only.</p> <p>(7) All electrical installations and other allied work shall be carried out by licensed/registered contractor approved by the Electrical Inspector to U.P Government.</p> <p>10. Application for licence for exhibition by means of video-</p> <p>(1) The application for license for giving exhibition by means of video shall be submitted in Form no. 1 to the licensing authority alongwith the documents mentioned in sub-rules (2), (3) or (4) as the case may be.</p> <p>(2) In the case of permanent building other than a hotel the application shall be accompanied with the following documents-</p> <p>(i) A site plan in duplicate showing location of the premises in relation to adjacent premises within a radius of 100 meters and public thorough fare on which the building abuts including the place, marked for parking of vehicles drawn on the scale one inch is equal to 10 meters:</p> <p>(ii) A building plan in duplicate including longitudinal and latitudinal sections and seating plan containing therein the arrangements of seats in each class including gangway and places left open drawn on the scale one inch is equal to five meters,</p> <p>(iii) Photostat copy of licence obtained for the commercial use of video or television under the Indian Telegraph Act, 1885 (Act 13 of 1885)</p> <p>(iv) Documents showing the ownership or tenancy of the place, building and the apparatus or the vehicle.</p> <p>(3) In the case of a temporary building and a hotel, the application shall be accompanied with the documents referred to in clause (iii) and</p>	
--	---	--

	<p>(iv) of sub-rule (2).</p> <p>(4) In the case of public service vehicle the application shall be accompanied with the documents referred to in clause (iv) of sub-rule (2) and a photostat copy of documents of its registration under Motor vehicle Act and fitness certificate of the vehicle denoting there in the route, if any, of operation of the said vehicle.</p>	
CHAPTER III		
	<p>11. Licence shall not be granted for a video cinema, if it is situated-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) within the limits of a local area already having a cinema in permanent building or where the same is under construction. (ii) within the radius of 500 meters of the outer limits of a local area with population exceeding 5 lakhs and having a cinema in a permanent building. (iii) Within the radius of 1000 meters of the outer limits of a local area with population exceeding 50,000 but not exceeding 5 lakhs and having a cinema in a permanent building. (iv) Within the radius of 1500 metres of the outer limits of a local area with population upto 50,000 and having a cinema in a permanent building. (v) Within 500 metres of another video cinema. (vi) In a restaurant or any other establishment, by whatever name called, engaged in serving or catering meals, snacks, hot or cold drinks etc. <p>(2) A travelling video cinema shall not be licensed within the radius of 2 kms. of a cinema in a permanent building.</p> <p><i>Explanation:-</i> for the purposes of this rule, the population of the latest census of which the relevant figures have been published shall be taken into account while granting licence.</p>	<p>other conditions for grant of licence.</p>

<p>Relaxation in respect of existing permanent building</p> <p>Power to refuse licence</p>	<p>12. (1) The licensing authority may on receipt of an application under rule 10 and after having satisfied that all the requirements have been fulfilled grant licence to the applicant in Form II or Form III, as the case may be appended to these rule.</p> <p>(2) The licensing authority shall while granting or renewing the licence in case of video cinema in Form II shall fix the maximum number of seats class-wise the number of ceiling or bracket fans, the number of fire fighting appliance and the number of latrines and urinals, as required under these rules.</p> <p>(3) Every licence granted under rule shall be subject to terms and conditions imposed under sub-section (2) of section 5 of the act or directions issued under sub-section (4) of the said section.</p> <p>13. (1) Any person already holding exhibitions by means of video in a permanent building before the date of commencement of these Rules, may be granted relaxation by the licensing authority from any of the provisions of rule 4 if the licensing authority is satisfied that the public safety, security and convenience is not jeopardised by such relaxation .</p> <p>(2) The State Government may grant relaxation from any of the provisions of rule 4 in respect of all other cases to which sub-rule (1) does not apply, if the State Government is satisfied that the public safety, security and convenience is not jeopardized by such relaxation.</p> <p>14. The licensing authority may for reasons to be recorded in writing refuse a licence, if he is satisfied that the exhibition by means of video in video cinema or hotel or public service vehicle is likely to cause obstruction, inconvenience, annoyance,</p>	<p>Grant of licence</p>
--	--	-------------------------

<p>Validity of licence</p>	<p>risk, danger or damage to the residents or passers by in the vicinity of the place of exhibition.</p> <p>15. (1) Except in the case of traveling Video cinema a licence for exhibition by means of video may be granted or renewed by the licensing authority for a period not exceeding three years at a time.</p> <p>(2) A licence to a traveling video cinema for a particular place shall initially be granted for a period not exceeding six months which may be extended for a further period not exceeding six months.</p>	
<p>Renewal of licence</p>	<p>16. The licensing authority may, on application being made to it, renew the licence. An application for renewal of licence, shall in the case of a travelling video cinema be made within fifteen days before the date of expiry of the licence and in any other case within one month of the said date. The application for renewal of licence shall not be taken into consideration if it is not accompanied by the fees prescribed under rule 16.</p> <p>17. Fee-</p> <p>1- The fee for grant or renewal of licence shall be as follows:</p> <p>(i) Video Cinema Rs. 2400 per year or part there of</p> <p>(ii) Hotel Rs. 1200 per year or part there of per video cassette player.</p> <p>(iii) Public Service Vehicle Rs 1200 per year or part there of.</p> <p>(iv) The fee for the grant or renewal of a travelling video cinema shall be Rs.100 per month or part there of.</p> <p>2- In case there is any such arrangement where</p>	

	<p>exhibition is given by means of video on a number of different television screens video screen or video scopes, an additional licence fee of Rs. 100 per year or part thereof, shall be levied for each such screen, fed by the said apparatus, by whatsoever name it may be called.</p>									
	<p>CHAPTER IV <i>Video library</i></p>									
Licence for video library	<p>18. (1) Every application for licence or for renewal thereof for keeping a video library shall be made to the licensing Authority with full details of the place to be licenced.</p> <p>(2) The licensing authority may grant or renew the licence for keeping a Video library in a local area having population mentioned in column 1 below on payment or annual fee at the rates specified in column 2 below:-</p> <table style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><u>Column 1</u></th> <th style="text-align: center;"><u>Column 2</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">(a) Less than two lakhs</td> <td style="text-align: center;">One thousand five hundred rupees.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(b) two lakhs or more but less than five lakhs.</td> <td style="text-align: center;">Three thousand rupees</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(c) five lakhs or more..</td> <td style="text-align: center;">Four thousand rupees</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) The licence shall be granted in Form IV appended to these rules.</p> <p>(4) Any person who keeps a video library shall be liable to produce documents when demanded by any officer authorised by the State Government in this behalf including the letter of consent from the person who is the first owner of the copyright of the film under section 17 of the Copyright Act, 1957 (Act no. 14of 1957) and in case such copyright is assigned under section 18 of the said Act, from the assignee of such copyright.</p>	<u>Column 1</u>	<u>Column 2</u>	(a) Less than two lakhs	One thousand five hundred rupees.	(b) two lakhs or more but less than five lakhs.	Three thousand rupees	(c) five lakhs or more..	Four thousand rupees	
<u>Column 1</u>	<u>Column 2</u>									
(a) Less than two lakhs	One thousand five hundred rupees.									
(b) two lakhs or more but less than five lakhs.	Three thousand rupees									
(c) five lakhs or more..	Four thousand rupees									

	<p>(5) No person who has been granted licence for keeping a video library shall sell, store, let on hire, distribute exchange or put into circulation in any manner whatsoever any video cassette of moving pictures other than those containing moving pictures which have been certified as suitable for public exhibition by the authority constituted under section 3 of the Cinematograph Act, 1952 (Act no. 37 of 1952) which when exhibited display the prescribed mark of that authority and he same has not been altered or tempered with in any way, since such mark was affixed thereto.</p> <p>(6) A register with full upto date record of all the video cassettes of moving pictures shall be maintained by the licensee.</p> <p>(7) No person who has been granted licence for keeping a video library shall sell/let or hire to and distribute or exchange with in any manner whatsoever any video cassette of moving pictures to any person other than a licensee authorised to give exhibition by means of video or to a person obtaining it for home viewing. A certificate to this effect shall be appended by the licensee against every transaction of the above nature and a suitable endorsement shall be made on every cash/credit memo pertaining to such transaction.</p>	
	<p>CHAPTER V <i>General</i></p>	
	<p>19. The licensee of a video cinema or the manager or managers thereof whose name or names have been entered in the licence shall be present at the video cinema during the</p>	<p>Licensee or his nominee to be present</p>

	<p>period the video cinema premises are open to the public.</p> <p>20. The licensee shall display his licence at any conspicuous place where exhibitions by means of video is held or in the premises of the video library, as the case may be.</p> <p>21. Provision for fire extinguisher etc- The portable fire extinguisher of BCF 2 Kg capacity and one of soda Acid of 9 litres capacity one buckets (9 litres) filled with water shall be provided in the premises of a video cinema and a travelling video cinema.</p> <p>22. (1) Any person who is liable to be prosecuted under these rules or the Act may at any time either before or after institution of the prosecution submit an application with full particulars of the offence to be compounded to the licencing authority.</p> <p>(2) On receipt of the application under sub-rule (1), the licensing authority may call for the records of the case from the inspecting officer and if he deems fit, pass an order for compounding of such offence on realisation or such composition fee the licensing authority may deem fit but not exceeding the maximum amount of fine for the offence.</p> <p>(3) Where any such offence is compounded, the licensing authority shall send a copy of his order informing the court concerned that the offence has been compounded and the composition fee has been realised.</p> <p>(4) The composition fee shall be deposited into the Government account under the head "0045-other Taxes and Duties on commodities and Services cinema licence Fee" in the same manner as licence fee is deposited.</p> <p>(5) The offence shall stand compounded only after the composition fee has been deposited in the Government account.</p> <p>23. (1) An appeal under sub-section (3) of</p>	<p>Display of licencee</p> <p>provision for fire extinguish-er etc.</p> <p>Compounding offences</p> <p>Procedure for appeal</p>
--	--	---

section 5 or sub-section (4) of section 7 of the Act may be preferred to the State Government within 30 days from the date of service of the order.

(2) A copy of the ground of appeal alongwith its enclosures shall also be supplied simultaneously to the officer against whose order the appeal is preferred, who shall supply necessary records and such other information to the Government as may be require alongwith his comments.

(3) The State Government may grant a temporary stay subject to such conditions as it may deem fit, and send a copy of its order to the Entertainment tax Commissioner as well as to the District Magistrate concerned.

24. *Inspection-* The following officers may at any time enter into and inspect the premises of a video cinema, video library, hotel or the Vehicle licenced under these rules for ensuring compliance of the rules:

(i) Commissioner, Deputy Commissioner, Assistant Commissioner, District Entertainment Tax officer and Inspector of the entertainment and Betting Tax Department.

(ii) Deputy Director (entertainment Tax) Revenue and Intelligence Directorate, Uttar Pradesh.

(iii) Not exceeding two police officers not below the rank of sub-inspector deputed by the licensing authority in consultation with the superintendent of police.

(iv) Not exceeding two Magistrates nominated by the licensing authority.

(v) Electrical inspector to the Government, and

(vi) Senior most professional officer of the U.P fire service of the district.

25. *Screening or authorised cassettes-*

(i) The licensee of a video cinema shall exhibit only those cassettes which have been certified as suitable for public exhibition by

	<p>an authority constituted under section 3 of cinematograph Act, 1952 (Act no. 37 of 1952) and granted certificates in form IV-A, V-A and VI-A under cinematograph (Certification) Rules, 1983.</p> <p>(ii) The licensee of a video cinema shall submit to the licensing authority previous information of every film proposed to be exhibited together with its synopsis consent from the person who is the first owner of the copyright under section 17 of the copyright Act, 1957 (Act no. 14 of 1957) and in case such copyright is assigned under section 18 of the said Act no. 14 of 1957 from the assignee of such copyright at least 48 hours before the proposed exhibition.</p> <p>(iii) A copy of the synopsis and information required above shall be kept at the cinema also and produced for inspection when demanded by the officers authorised for inspections.</p>	<p>procedure</p>
--	--	------------------

Form I
(SEE RULE 12)

Form of Application for Licence for exhibition by means of video.

- (i)-Name of applicant.....
- (ii) Father's Name.....
- (iii) Age and Sex.....
- (iv) Address-
 - (i) Permanent.....
(duly verified)
 - (ii) Present address.....

2. Name and description of the place

Exact location with house or plot number, if any where exhibition by means of video is proposed and the population of that local area where it is situated and in case of public service vehicle registration number with route of operation if any.

- 3. (i) Site Plan in duplicate under rule 10 (2) (1)
- (ii) Building plan in duplicate under Rule 10 (2) (ii)

- (iii) Photostate copy of the licence obtained for commercial use of video or television under Indian Telegraph Act, 1885.
 - (iv) Documents showing the ownership or tenancy of the place, building, apparatus and vehicles Rule 10 (2) (iv)
 - (v) In the case of partnership firms, name and addresses of the partners.
 - 4. In the case of Video Cinema and travelling video cinema-
 - (i) Number of shows proposed to be held daily with show timings of each show.
 - (ii) Width of-
 - (a) television screen
 - (b) video screen
 - (iii) Total seating capacity with class wise seating arrangement of each class.
 - (iv) Rates of admission inclusive of tax for each ticket.
 - (v) Name and address of manager if any.
 - (vi) Proposed date of start of exhibition by means of video.
 - 5. In the case of hotel-
 - (i) Number of television screens/video screens/video scope
 - (ii) Number of video cassette players.
 - (iii) proposed number of rooms with facility of exhibition by means of video.
 - (iv) Proposed date of start of exhibition by means of video.
 - (v) Name and address of the Mangager.
 - 6. Number and date of treasury challan by which the amount of prescribed licence fee/renewal fee has been deposited.
- Date:

Signature of the applicant with address duly verified by a gazetted officer.

By order,

Form II

(SEE RULE 12)

Form of Licence under the U.P Cinemas (Regulation of Exhibition by means of Video) Rules, 1987 for video Cinemas and Travelling Video Cinemas

No. _____ of _____

(a) _____

(Name of the Video Cinema/ Travelling Video Cinema)

_____ situated at
(b) _____ with _____ in the District of _____
_____ is licensed under section 3 of the U.P Cinemas (Regulation) Act, 1955 and rule 11 of U.P Cinemas (Regulation of Exhibition by means of Video) Rules, 1987 as a place where exhibition by means of video may be given from _____ to _____

both days inclusive.

The licence has been granted to (c) _____

(Name)
_____ and shall be terminated forthwith if the said (c) _____ ceases to own, to hold on lease or to manage the said (a) _____

The licence is granted subject to the provisions of the U.P Cinema (Regulation) Act, 1955 and the rules framed there under and to the following further conditions:-

(1) That the said (c) _____ shall not exhibit, or permit to be exhibited, if the said (a) _____ any film other than a film which has been certified as suitable for public exhibition by a authority constituted under section 3 of the Cinematograph Act, 1952 and which when, exhibited displays the prescribed mark of that authority, and has not been altered or tempered with in any way since such mark was affixed thereto.

(2) That the said (c) _____ shall not exhibit or permit to be exhibited in the said (a) _____ to any person who is not an adult, any film which has been certified by an authority constituted under section 3 of Cinematograph Act, 1952 as suitable for public exhibition restricted to adults.

(3) That the said (c) _____ shall not exhibit or cause to be exhibited at any performance in the said

(a) _____

(1) any advertisement regarding sexual diseases and medicine to correct sexual disorders of purporting to assist the childless in be getting children, etc. and (2) any indecent, obscene, immoral or suggestive advertisement, pictures , or posters on _____ the _____ premises _____ of _____ the said(a) _____

(4) _____ That _____ the _____ said

(c) _____ shall send previous information of every video film proposed for exhibition to the District Magistrate together with the synopsis and details of Number and date of certificate issued by the authority constituted under section 3 of the Cinematograph Act, 1952 and name of the supplier or distributor of the video film at least one week or, for good and sufficient reasons accepted by the District Magistrate upon application by the licensee, three days before exhibition is proposed:

Provided _____ that _____ if _____ the _____ said

(c) _____ has submitted to the District Magistrate in accordance with the provisions of this condition a programme in respect of a number of films within a specified period of one month or less it shall not be necessary for the licensee to inform the District Magistrate of any change he intends to make within that specified period in the proposed dates for exhibition of films included in the programme originally submitted.

(5) That the total number of seats in the auditorium and the seats for each class shall not exceed the number specified in Schedule, here to appended nor shall the number and description of fire appliances, exhaust fans, electric fans or sanitary requirements be less than those therein specified.

(6) _____ That _____ the _____ said

(c) _____ shall not display or cause to be displayed any photograph, pictures or posters which depict or represent or purport to represent a scene or shot which has been excised from-any film under the orders of the Board of Film Certification or the Central Government.

(7) That there, will be no restriction on the number of daily shows between 9.00 A.M and 12.30 A.M and that no show shall be held before 9.00 A.M and after 12.30 A.M without the specific permission of the licensing authority which will be given only in very exceptional circumstances.

(8) That no person below 18 years of age shall be allowed admission in shows held before 3.00 P.M on working days.

Note:- Childeren up to the age of 5 years accompanied by their parents or guardians shall be exempted from this restriction. This restriction shall also not

apply on holidays. Holidays for this purpose shall include Sundays, Gazetted holiday and holidays and vacation prescribed for educational institutions.

(9) That juveniles below 14(fourteen) years of age shall not be allowed admission in the late night show starting from 9.00 P.M and onwards unless they are accompanied by their parents or guardians.

(10) That the said (c) _____ or any other person responsible for the management of the show shall not contravene any of the provisions relating to U.P Entertainment and Betting Act and rules made thereunder.

(11) That the name of the main feature film exhibited at each performance shall be noted on the Form 'B' statement prepared for each show under Rule 13 of the U.P Entertainment and Betting Tax Rules, 1981 and the licensee shall not exhibit, or allow to be exhibited any feature film in any show other than the one so noted.

(12) That the sound and light arrangement shall be such as to ensure good visibility and audibility to all at all times during the exhibitions and the seats shall always be kept in a proper state of repairs.

(13) That all walls and floors of permanent video cinema shall be kept clean at all times: washed with disinfectant at least once every day and all walls up to a height of 90 cms. from the floor shall be cleaned with a strong disinfectant at least once a month.

(14) At least two spittoons for a seating capacity of 50 seats and one additional spittoon for every 20 seats shall be provided at suitable places. The spittoons shall contains a strong disinfectant and shall be emptied and cleaned from time to time Notice for using such spittoons shall be displayed prominently.

(15) That the said (c) _____ or his manager shall immediately within ten minutes after the preparation of the Form 'B' statement in accordance with U.P Entertainment and Betting Tax Rules, 1981 shall remove the original page from the Register and put the same in a tin box hung at a prominent place of exhibition specified by the Entertainment Tax Inspector or District Entertainment Tax Officer, The safety of the said box shall be the responsibility of the said(c) _____ or his manager, who will keep with him the keys of the box and produce on demand before the inspecting officer the above mentioned Form 'B' Statement.

The.....19.....
Authority

Licensing

Schedule

1. Total sanctioned capacity.
(Class-wise break-up of seats, if any)
2. Size of T.V Screen /Video-Scope Screen.

3. Number of seiling fans or bracket fans with size and description.
4. Number of exhaust fans with size ad description.
5. Numbers of urinals and latrines for males and females.
6. Details for fire-fighting arrangements:
 - (a) C.T.C Fire extinguisher.
 - (b) Soda Acid Fire Extinguisher.
 - (c) Sand buckets.
 - (d) Water buckets.

Licensing Authority

Form III
(SEE RULE 12)

Form of Licence under the U.P Cinemas (Regulation of Exhibition by means of Video) Rules.
1988 for Hotel, Restaurants and Public Service Vehicle

No. _____ of _____

—

(a) _____

—

(Name of the Hotel/ Restaurant/Registration no. in the case of public
service Vehicle)

_____ situated/
registered under Motor Vehicles Act, 1939 at
(b) _____

(Place)

_____ within the District of
_____ is licensed under section 3 of
the U.P. cinemas (Regulation) Act, 1955 and Rule 11 of U.P cinemas (Regulation of Exhibition by means of Video) Rules, 1988 as a place where
exhibition by means of video may be given from
_____ both _____ days
inclusive _____ 19,
to _____

The license has been granted
to(c) _____

(Name)

_____ and shall be terminated forthwith if the said (c)
_____ ceases to own, to hold on lease or to manage the said
(a) _____

The license is granted subject to the provisions of the U.P Cinemas
(Regulation) of Act, 1955 and the rules framed thereunder and to the further
conditions _____

(1) that the said (c) _____
shall not exhibit, or permit to be exhibited, in the
said(a) _____ any film other
than a film which has been certified as suitable for public exhibition by an
authority constituted under section 3 of the Cinematograph Act, 1952 and
which when, exhibited, displays the prescribed mark of that authority and
has not been altered or tempered within any way since such mark was
affixed thereto.

- (2) that _____ the _____ said
(c) _____ shall not
exhibit or permit to be exhibited in the said
(a) _____ to any person who is not an
adult any film which has been certified by any authority constituted
under section 3 of the Cinematograph Act, 1952 as suitable for public
exhibition, restricted to adults.
- (3) that the said (c) _____ shall
not exhibit or cause to be exhibited at any performance in the said
(a) _____
- (1) any advertisement regarding sexual diseases and medicines to correct
sexual disorders or purporting to assist the childless in be getting
children etc. and (2) any indecent, obscene immoral or suggestive
advertisements, pictures, or posters on the premises of the
said(a) _____
- (4) that the licensee _____
shall regularly maintain a register chronologically with up-to-date
entries denoting therein the name and title of the video film, the
number and date of certificate issued by the authority constituted under
section 3 of the Cinematograph Act, 1952 and the name of the supplier
or distributor of the said film exhibited by him on each performance
and the said register shall be open to inspection and produced when
demanded by any prescribed inspecting authority.
- (5) that the said (c) _____ shall not
display or cause to be displayed any photograph, pictures or posters
which depict or represent purport to represent a scene or shot which
has been excised from any film under the orders of the Board of Film
Certification or the Central Government.
- (6) that the sound and light arrangements shall be such as to ensure good
visibility and audibility to all at all times during exhibitions and the
seats shall always be kept in a proper state of repairs.

The.....19.....

Licensing Authority

Form IV
[SEE RULE 17(3)]

licence for keeping a video library

1. Name and address of licensee.
2. If the licensee is not the owner of the place or building, the name and address of the owner thereof.
3. Location of the place or building.
4. Working Business Hours of the Library.
5. Period for which the licence is granted.

Conditions of Licence

This licence is granted subject to the provisions of the U.P. Cinema (Regulation) Act, 1955 and the rules framed thereunder and is also subject to the following conditions-

- (1) Any prescribed inspecting authority shall have free access to the said premises during business hours in order to see whether the conditions of the licensee are being complied with.
- (2) The licensee shall in respect of each film in his possession, produce when demanded by any officer prescribed under Rules, a letter of consent from the person who is the first owner of the copyright under section 17 of the copyright Act, 1957 (Act XIV of 1957) and in case such copyright has been assigned under section 18 of the said Act from the assignee of such copyright.
- (3) The licensee shall not sell, hire, let on hire, distribute, exchange and put into circulation any film other than of a film which has been certified as suitable for public exhibition by the authority constituted under section 3 of the Cinematograph Act, 1952 and which, when exhibited displays the prescribed mark of that authority and the same has not been altered or tampered with in any way such mark was affixed thereto.
- (4) That the licensee shall regularly maintain the prescribed register.
- (5) That the licensee shall furnish the information and submit monthly returns as required by the licensing Authority within the time prescribed by him.

Date.....

Licensing Authority

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (मनोरंजन कर) अनुभाग
संख्या 1787/दस-म0क0-88-बीस0आर0 (1)-84
लखनऊ 17 अगस्त, 1988

अधिसूचना

सा0प0नि0-100

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-3 सन 1956) की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली-1988

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ	1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 कही जायगी।
	(2) यह वीडियो पुस्तकालयों और 125 से अनाधिक सीटों वाले स्थायी भवन में वीडियो द्वारा प्रदर्शनों और समस्त अस्थायी भवनों में ऐसे प्रदर्शनों पर लागू होगी।
	टिप्पणी:- किसी ऐसे वीडियो चलचित्र में जिसमें बैठने की क्षमता 125 सीट से अधिक हो वीडियो द्वारा प्रदर्शन, यथावश्यक परिवर्तन सहित, उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ नियमावली, 1951 द्वारा ऐसे शिथिलीकरण सहित जैसा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाय, नियंत्रित और विनियमित होगा।
	(3) यह दिनांक 01 सितम्बर, 1988 से प्रवृत्त होगी।
परिभाषायें	2-- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-- (क) "अधिनियम" का तात्पर्य, उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम 1955 से है, (ख) "लाइसेन्स" का तात्पर्य लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा वीडियो द्वारा प्रदर्शन करने या वीडियो पुस्तकालय का संचालन करने या उसे रखने के लिये इस नियमावली से संलग्न, यथा स्थिति, प्रपत्र-दो या प्रपत्र-तीन या प्रपत्र-चार में स्वीकृत लिखित प्राधिकार से है, (ग) "लाइसेन्स गृहीता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे लाइसेन्स दिया गया हो और उसके अन्तर्गत उसका अभिकर्ता भी है जिसको मुख्तारनामा के द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किया गया हो और जिसकी नियुक्ति की लिखित सूचना लाइसेंस प्राधिकारी को दी गयी हो ; (घ) "लाइसेन्स प्राधिकारी" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-4 के अधीन विनिर्दिष्ट या प्राधिकृत अधिकारी से है; (ङ) "स्थायी भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसका निर्माण, स्थायी उपयोग के लिए, पत्थर, मिट्टी, ईटा, गारा, सीमेन्ट या अन्य अप्रज्वलनशील सामग्री से किया गया हो; (च) "सार्वजनिक सेवा यान" (पब्लिक सर्विस वेहिकल) का यही अर्थ है जो मोटरयान अधिनियम, 1939 में उसके लिये दिया गया है, (छ) "अस्थायी भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन से है जो स्थायी भवन न हो और इसके अन्तर्गत कोई बूथ, तम्बू या तत्सदृश संरचना भी है;

	<p>(ज) "चल वीडियो चलचित्र", का तात्पर्य ऐसे वीडियो चलचित्र से है जिसके द्वारा किसी अस्थायी भवन में वीडियो द्वारा प्रदर्शन किया जाये;</p> <p>(झ) "वीडियो चलचित्र" का तात्पर्य किसी स्थायी भवन में वीडियो द्वारा प्रदर्शन के लिये लाइसेंस प्राप्त सम्पूर्ण स्थान से है और इसके अन्तर्गत उसमें लगाये गये उपकरण, संयंत्र और साधिव भी हैं;</p> <p>(ञ) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु इसमें अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये अधिनियम में दिये गये हों।</p> <p>(ट) "होटल" का तात्पर्य ऐसे अधिष्ठान से है जो भुगतान के आधार पर वास और भोजन की सुविधा प्रदान करता है;</p> <p>(ठ) स्थानीय क्षेत्र का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 में उसके लिये दिया गया है।</p>
लाइसेंस देने पर निर्बन्धन	3- किसी व्यक्ति को तब तक लाइसेंस नहीं दिये जायेगा जब तक कि लाइसेंस प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाये कि अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है

अध्याय-दो

वीडियो चलचित्र के लिए स्थायी भवन, बैठने का स्थान इत्यादि की आवश्यकताएं

<p>स्थायी भवन की आवश्यकताएं</p>	<p>4---(1) ऐसे सार्वजनिक मार्ग पर जिससे ऐसे भवन का स्थल लगा हुआ हो एक स्वतन्त्र प्रवेश द्वार होगा।</p>
	<p>(2) भवन में किसी दो और कम से कम 3 मीटर चौड़ाई के खुले स्थान और गाड़ियों को खड़ा करने के लिये सामने कम से कम 6 मीटर चौड़ाई के खुले स्थान की व्यवस्था की जायगी। यदि भवन सार्वजनिक मार्ग से दूर हो तो पहुंच मार्ग चौड़ाई में 3 मीटर से कम नहीं होगा।</p>
	<p>(3) भवन, (एक) सुनिर्मित, संरचनात्मक ढंग से सुरक्षित और अप्रज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया गया होगा; (दो) पर्याप्त संवातित होगा; (तीन) में उसके दरवाजे के किसी एक ओर 1.6 मीटर चौड़ा बरामदा होगा; (चार) में प्रति 50 सीट के लिये कम से कम एक द्वार होगा और किसी भी स्थिति में दो से कम नहीं होगा जिसमें बाहर की ओर खुलनेवाला एक दरवाजा होगा और दरवाजे का आकार ऊंचाई में 1.95 मीटर और चौड़ाई में 1.34 मीटर से कम नहीं होगा। (पांच) में फर्श से छत या निकटस्थ आच्छादन की सामान्य ऊंचाई 3.5 मीटर से कम नहीं होंगी जिसमें 2.75 मीटर की ऊंचाई पर विद्युत अधिष्ठापन लगे होंगे। (छ) में अवतरण चौकी (लैंडिंग), दरवाजे, सीढ़ियों लाबी और सम्पथ 1.34 मीटर से कम चौड़े नहीं होंगे।</p>
	<p>(4) यदि किसी भवन के प्रथम तल या द्वितीय तल पर प्रेक्षागृह का निर्माण किया जाये तो इसमें किसी दो ओर 1.6 मीटर चौड़ा बरामदा होगा और दो भिन्न-भिन्न और भूतल की ओर जाने वाली दो सीढ़ियां होंगी जिनमें से एक सीढ़ी मुख्य मार्ग से सटी होगी। सीढ़ी की चौड़ाई 1.34 मीटर, सीढ़ियों को मिलाने वाला खड़ा भाग (राइजर) 16 सेंटी मीटर और सीढ़ी की ऊपरी धरातल (ट्रेड) 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा और एक सिलसिले में तीन से कम और 15 से अधिक सीढ़ियों नहीं होगी। उप नियम (2) के अधीन अपेक्षित खुले स्थान की व्यवस्था भूतल पर की जायेगी। अन्य अपेक्षाएं वही होंगी जो पूर्ववर्ती उपनियमों में हैं:- परन्तु यह कि यदि प्रथम तल पर प्रेक्षा गृह का निर्माण किया जाय, तो निर्माण के लिये, यदि कोई हो, भूतल के अध्यासियों से सहमति ली जायगी।</p>
<p>बैठने का स्थान</p>	<p>5---(1) लोक सुविधा के लिये बैठने के स्थान निश्चित और निरापद प्रबन्ध किया जायगा। (2) प्रेक्षागृह में प्रवेश दिये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का अवधारण फर्श के क्षेत्रफल के प्रति 9 वर्गमीटर पर 20 व्यक्ति के हिसाब से गणना करके किया जाएगा। इस उपनियम के प्रयोजनार्थ, फर्श के क्षेत्रफल के अन्तर्गत प्रवेश द्वार, रास्ता (पैसेज), गलियारा (गैंगवेज), मंच (स्टेज) और ऐसे समस्त स्थान जिन पर जनता को प्रवेश न किया जाय, होंगे। (3) लाइसेंस प्राधिकारी प्रत्येक वर्ग के लिये पृथक-पृथक सीटों की अधिकतम संख्या अवधारित करेगा और उसे लाइसेंस में विनिर्दिष्ट किया जायगा और प्रत्येक वर्ग के प्रवेश द्वार के निकट सुस्पष्ट रूप से संप्रदर्शित किया जायगा। (4) प्रत्येक सीट 0.45x 0.45 मीटर की होगी और उसमें पीछे की ओर टेक होगा और हथ्थे भी होंगे। वह पूरी लम्बाई में एक साथ कसी होंगी। बैठने के स्थान की समुचित व्यवस्था की जायगी जिसके कि निर्गम द्वार तक अबाध पहुंचा जा सके। (5) एक सीट की पीठ और ठीक उसके पीछे की सीट के सामने के बीच</p>

	<p>कम से कम 36 सेन्टीमीटर स्थान होगा जिसकी माप लम्बतः की जायेगी।</p> <p>(6) बैठने के स्थान के प्रत्येक दस कतार के लिये कतारों के समान्तर 80 सेन्टीमीटर चौड़ा रास्ता होगा।</p> <p>(7) कम से कम एक गलियारा होगा। गलियारा कम से कम 0.90 मीटर चौड़ा होगा और उसका प्रबन्ध इस प्रकार किया जायेगा कि कोई भी सीट गलियारे से 10 सीट से अधिक दूर न हो।</p> <p>(8) वीडिया स्क्रीन और सीटों की पहली कतार के बीच 2 मीटर से कम दूरी नहीं होगी और किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान के भीतर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।</p> <p>(9) सीटों की संख्या नीचे यथा विनिर्दिष्ट से कम नहीं होगी:- टेलीविजन या वीडिया</p>												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">स्क्रीन की चौड़ाई</th> <th style="text-align: right;">अधिकतम सीट</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(एक) 51 सेन्टीमीटर से अनधिक</td> <td style="text-align: right;">30 सीट</td> </tr> <tr> <td>(दो) 67.5 सेन्टीमीटर से अनधिक</td> <td style="text-align: right;">50 सीट</td> </tr> <tr> <td>(तीन) 77.5 सेन्टीमीटर से अनधिक</td> <td style="text-align: right;">75 सीट</td> </tr> <tr> <td>(चार) 100.00 सेन्टीमीटर से अनधिक</td> <td style="text-align: right;">100 सीट</td> </tr> <tr> <td>(पांच) 100.00 सेन्टीमीटर से अधिक</td> <td style="text-align: right;">125 सीट</td> </tr> </tbody> </table>	स्क्रीन की चौड़ाई	अधिकतम सीट	(एक) 51 सेन्टीमीटर से अनधिक	30 सीट	(दो) 67.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	50 सीट	(तीन) 77.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	75 सीट	(चार) 100.00 सेन्टीमीटर से अनधिक	100 सीट	(पांच) 100.00 सेन्टीमीटर से अधिक	125 सीट
स्क्रीन की चौड़ाई	अधिकतम सीट												
(एक) 51 सेन्टीमीटर से अनधिक	30 सीट												
(दो) 67.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	50 सीट												
(तीन) 77.5 सेन्टीमीटर से अनधिक	75 सीट												
(चार) 100.00 सेन्टीमीटर से अनधिक	100 सीट												
(पांच) 100.00 सेन्टीमीटर से अधिक	125 सीट												
संवातन	<p>6--(1) वातानुकूलित प्रेक्षागृह के सिवाय 0.45 आकार का कम से कम एक एकजास्ट पंखे की व्यवस्था की जायेगी। एकजास्ट पंखे को प्रदर्शन के समय सर्वदा चालू रखा जायगा।</p>												
	<p>(2) प्रत्येक 25 सीट या उससे कम के लिये 1.20 मीटर (56) के आकार के कम से कम एक छतपंखा की व्यवस्था की जायेगी।</p>												
	<p>(3) वातानुकूलित प्रेक्षागृह के सिवाय, संतुलित वायु संभरण को सुनिश्चित करने हेतु प्राकृतिक संवातन के लिये प्रत्येक 10 व्यक्ति के निमित्त 929 सेन्टीमीटर की खुली जगह होगी।</p>												
स्वच्छता	<p>7--(1) कम से कम दो डब्लू0सी0 और तीन मूत्रालयों की व्यवस्था की जायेगी जिसमें से एक डब्लू0सी0 और एक मूत्रालय केवल महिलाओं के उपयोग के लिये होगा।</p> <p>(2) प्रत्येक प्रदर्शन के ठीक पूर्व और पश्चात् शौचालयों और मूत्रालयों की सफाई और धुलाई की जायगी और प्रतिदिन विसंक्रामक का उपयोग किया जायगा।</p> <p>(3) प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार सम्पूर्ण परिसर की जिसके अन्तर्गत सिनेमा का प्रेक्षागृह भी है, चूना पुताई की जायगी या डिस्टेम्पर किया जायगा और समस्त लोहे और लकड़ी के सामानों की, यथास्थिति, रंगाई या वार्निश की जायगी। परिसर को सर्वदा साफ और धूल रहित रखा जायगा।</p>												
पीने के पानी की व्यवस्था	<p>8-- पीने के पानी की व्यवस्था ऐसी रीति से और ऐसी मात्रा में की जायेगी जैसी लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाय।</p>												
विद्युत अधिष्ठान	<p>9--(1) वीडियो को विद्युत संभरण करने के लिये एक पृथक सर्किट होगा। जो उपर्युक्त ग्रंथित (लिंकड) स्विच द्वारा नियंत्रित होगा। बिजली चली जाने की दशा में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आपाती प्रकाश जैसे टार्च आदि का प्रबन्ध किया जायगा।</p> <p>(2) तीन पिन वाले प्लग का जिसमें से तीसरा पिन करागर ढंग से भूमि से संयोजित होगा, उपयोग किया जायगा।</p> <p>(3) रोशनी, पंखों और अन्य उकरणों के लिये पृथक सर्किट की व्यवस्था की जायगी।</p> <p>(4) स्वचालित वोल्टेज रेगुलेटर या स्टैबिलाइजर, जो 230 वोल्ट निर्गत (आउटपुट) कर सके वीडियो उपकरण के साथ लगाया जायगा।</p>												

	<p>(5) प्रदर्शन के दौरान ऐसे बल्ब के जरिये, जिसमें 25 वाट से कम और 40 से अधिक ऊर्जा न हो, मन्द प्रकाश की व्यवस्था की जायेगी</p> <p>(6) उपयोग किये जाने वाले समस्त केविल और बिजली के तार आई0एस0आई0 श्रेणी के होंगे और तार केवल परिरक्षीनलिका (कंड्यूइट पाइप) के भीतर रहेगा।</p> <p>(7) समस्त विद्युत अधिष्ठान और अन्य सहबद्ध कार्य विद्युत निरीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित लाइसेंस प्राप्त रजिस्ट्रीकृत ठेकेदार द्वारा किया जायगा।</p>
--	--

अध्याय-तीन

लाइसेन्स

<p>वीडियो द्वारा प्रदर्शन के लिये लाइसेन्स हेतु आवेदन पत्र</p>	<p>10—(1) वीडियो द्वारा प्रदर्शन के लिये लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र एक में लाइसेंस प्राधिकारी को यथास्थिति उपनियम (2) (3) या (4) में उल्लिखित लेख्यों के साथ प्रस्तुत किया जायगा।</p> <p>(2) होटल से भिन्न किसी स्थायी भवन की स्थिति में आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित लेख्य होंगे:—</p> <p>(एक) 1 ईंच=10 मीटर के पैमान पर खींचा गया स्थल नक्शा दो प्रतियों में होगा जिसमें 100 मीटर के अर्धव्यास के भीतर आसन्न परिसर के सम्बन्ध में परिसर की अवस्थिति और सार्वजनिक मार्ग जिससे भवन सटा हो जिसके अन्तर्गत गाड़ियों को खड़ा करने के लिये स्थान भी है, दिखाया जायेगा;</p> <p>(दो) 1 ईंच=5 मीटर के पैमाने पर खींचा गया भवन नक्शा, दो प्रतियों में जिसके अन्तर्गत देशान्तरीय और अक्षांशीय अनुभाग (सेक्शन) और बैठने के स्थान का नक्शा भी है, होगा जिसमें प्रत्येक श्रेणी में सीटों का प्रबन्ध किया गया हो जिसके अन्तर्गत गलियारा और खुला रखा गया स्थान भी है;</p> <p>(तीन) भारतीय तार अधिनियम 1885 (अधिनियम संख्या-13 सन् 1885) के अधीन वीडियो या टेलीविजन वाणिज्यिक उपयोग के लिये प्राप्त लाइसेन्स की फोटो स्टेट प्रति।</p> <p>(चार) ऐसे दस्तावेज जिसमें स्थान, भवन और साधित्र या यान का स्वामित्व या किरायेदारी दिखाई गयी हो।</p> <p>(3) अस्थायी भवन और होटल की स्थिति में आवेदन पत्र के साथ उपनियम (2) के खण्ड (तीन) और (चार) में उल्लिखित लेख्य होंगे।</p> <p>(4) सार्वजनिक सेवा यान की स्थिति में आवेदन पत्र के साथ उपनियम (2) के खण्ड (चार) में उल्लिखित लेख्य और मोटरयान अधिनियम के अधीन उनके रजिस्ट्रीकरण के दस्तावेजों की फोटो स्टेट प्रति और यान की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र होगा जिसमें उक्त यान को चलाने का मार्ग यदि कोई हो, दिया गया हो, प्रस्तुत करना होगा।</p>
<p>लाइसेन्स दिये जाने की अन्य शर्तें</p>	<p>11—(1) लाइसेंस दिये जाने की अन्य शर्तें— किसी वीडियो चलचित्र को लाइसेंस नहीं दिया जायगा यदि वह:—</p> <p>(एक) ऐसे किसी स्थानीय क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित हो जहां किसी स्थायी भवन में पहले चलचित्र विद्यमान हो या वहीं ऐसा भवन निर्माणाधीन हो,</p> <p>(दो) ऐसे किसी स्थानीय क्षेत्र की बाहरी सीमा का 500 मीटर के अर्धव्यास के भीतर जिसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो और किसी स्थायी भवन में चलचित्र, स्थित हो;</p> <p>(तीन) ऐसे किसी स्थानीय क्षेत्र की बाहरी सीमा के 1000 मीटर के अर्धव्यास के भीतर जिसकी जनसंख्या 50,000 हजार से अधिक किन्तु 5 लाख से अधिक न हो और किसी स्थायी भवन में चलचित्र स्थित हो;</p> <p>(चार) ऐसे किसी स्थानीय क्षेत्र की बाहरी सीमा के 1500 मीटर के अर्धव्यास के भीतर जिसकी जनसंख्या 50,000 तक हो और किसी स्थायी भवन में चलचित्र स्थित हो;</p> <p>(पांच) किसी अन्य वीडियो चलचित्र के 500 मीटर की दूरी के भीतर स्थित हो;</p> <p>(छः) किसी जलपानगृह या ऐसे किसी अन्य अधिष्ठान चाहे उसे</p>

	<p>किसी भी नाम से पुकार जाय, स्थित हो, जो भोजन, नाश्ता, गर्म या ठंडा पेय आदि के परोसने या प्रबन्ध करने के कार्य में लगा हो;</p> <p>(2) किसी स्थायी भवन में स्थित चलचित्र के 2 किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर किसी चल वीडियो चलचित्र को लाइसेंस दिया जायेगा।</p> <p>स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिये, लाइसेंस देते समय नवीनतम जनसंख्या को, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किये जा चुके हैं, ध्यान में रखा जायेगा।</p>
लाइसेंस का दिया जाना	<p>12—(1) लाइसेंस प्राधिकारी नियम 10 के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर और अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि सभी अपेक्षाएँ पूर्ण कर दी गयी हैं; आवेदक को इस नियमावली से संलग्न, यथास्थिति, प्रपत्र—दो या प्रपत्र—तीन में लाइसेंस दे सकता है।</p> <p>(2) लाइसेंस प्राधिकारी प्रपत्र—दो में वीडियो चलचित्र की स्थिति में लाइसेंस देने या उसकी नवीकरण करते समय इस नियमावली की अपेक्षानुसार श्रेणीवार सीटों की संख्या, छत या ब्रैकेट पंखों की संख्या, एकजास्ट पंखों की संख्या, अग्निशमन साधित्रों का विवरण और उनकी संख्या और शौचालयों और मूत्रालयों की संख्या निर्धारित करेगा।</p> <p>(3) इस नियम के अन्तर्गत दिया जाने वाल प्रत्येक लाइसेंस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन आरोपित ऐसे निबन्धनों और शर्तों या उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन दिये गये निर्देशों के अधीन होगा।</p>
वर्तमान स्थायी भवनों के संबंध में शिथिलीकरण	<p>13—(1)— किस ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में जो इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व किसी स्थायी भवन में वीडियो द्वारा पहले से प्रदर्शन कर रहा हो।</p> <p>लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा नियम 4 के किन्हीं उपबन्धों को शिथिल किया जा सकता है यदि लाइसेंस प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि ऐसे शिथिलीकरण से लोक सुरक्षा, सुरक्षा और सुविधा को जोखिम नहीं होगा।</p> <p>(2) राज्य सरकार ऐसे समस्त अन्य मामलों के संबंध में जिन पर उपनियम (1) लागू नहीं होता है, नियम 4 के किन्हीं उपबन्धों को शिथिल कर सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसे शिथिलीकरण से लोक सुरक्षा, सुरक्षा और सुविधा को जोखिम नहीं होगा।</p>
लाइसेंस देने से इन्कार करने की शक्ति	<p>14—लाइसेंस प्राधिकारी उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी लाइसेंस को देने से इन्कार कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि किसी वीडियो चलचित्र या होटल या सार्वजनिक सेवा यान में वीडियो द्वारा प्रदर्शन से प्रदर्शन स्थान के आस पास के निवासी हो या पथिकों को बाधा, असुविधा, क्षोभ, जोखिम, खतरा या क्षति होने की संभावना है।</p>
लाइसेंस की विधि मान्यता	<p>15—(1) लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा चल वीडियो चलचित्र के सिवाय, वीडियो द्वारा प्रदर्शन के लिये लाइसेंस अवधि एक बार में तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिये स्वीकृत या नवीकृत किया जा सकता है।</p> <p>(2) किसी चल वीडियो चलचित्र को किसी विशिष्ट स्थान के लिये प्रारम्भ में छः मास से अनधिक अवधि के लिये लाइसेंस दिया जायगा जिसका विस्तार छः मास से अनधिक अग्रतर अवधि के लिये किया जा सकता है।</p>
लाइसेंस का नवीकरण	<p>16—लाइसेंस प्राधिकारी, आवेदन—पत्र दिये जाने पर, लाइसेंस का नवीकरण कर सकता है। चल वीडियो चलचित्र के लिये लाइसेंस के नवीकरण के लिये आवेदन—पत्र लाइसेंस की समाप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन पूर्व और किसी अन्य के लिये उक्त दिनांक से एक मास पूर्व दिया जायगा। लाइसेंस के नवीकरण के लिये आवेदन—पत्र पर विचार नहीं किया जायगा यदि उसके साथ नियम 17 के अधीन नियम शुल्क न हो।</p>
शुल्क	<p>17—(1) लाइसेंस के दिये जाने या नवीनीकरण के लिये शुल्क निम्नलिखित होगा :-</p>

	<p>(एक) वीडियो चलचित्र – प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये — 2400 रूपये</p> <p>(दो) होटल – प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये –1200 रूपये प्रति</p> <p>वीडियो कैसेट प्लेयर</p> <p>(तीन) सार्वजनिक सेवायान— प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिए – 1200 रूपये</p> <p>(चार) चल वीडियो चलचित्र— प्रति मास या उसके भाग के लिए – 100 रूपये</p> <p>(2) यदि कोई ऐसा प्रबंध हो, जहां अनेक भिन्न-भिन्न टेलीविज स्क्रीन, वीडियो स्क्रीन या वीडियो स्कोप्स पर कोई प्रदर्शन वीडियो द्वारा दिखाया जाय, वहां उक्त साधित्र द्वारा, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, प्रदर्शित प्रत्येक ऐसे स्क्रीन के लिए प्रति वर्ष या उसके भाग के लिए 100 रूपये का अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क उद्गृहीत किया जायेगा।</p>
--	--

अध्याय—चार
वीडियो पुस्तकालय

वीडियो पुस्तकालय
के लिये लाइसेंस

18—(1) वीडियो पुस्तकालय रखने के निमित्त लाइसेंस के लिये या उसके नवीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र लाइसेंस प्राधिकारी को दिया जायेगा जिसमें लाइसेंस दिये जाने वाले स्थान का पूरा ब्योरा होगा।

(2) लाइसेन्स प्राधिकारी ऐसे किसी स्थानीय क्षेत्र में जिसकी जनसंख्या नीचे स्तम्भ-1 में उल्लिखित है, स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट दर पर वार्षिक शुल्क का भुगतान करने पर, वीडियो पुस्तकालय रखने के लिए लाइसेन्स दे सकता है या उसका नवीकरण कर सकता है,

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

(क) दो लाख से कम

एक हजार पांच सौ रुपये

(ख) दो लाख या इससे अधिक किन्तु पांच लाख से कम।

तीन हजार रुपये

(ग) पांच लाख या इससे अधिक।

चार हजार रुपये।

(3) लाइसेंस इस नियमावली से सलग्न प्रपत्र-चार में दिया जायगा।

(4) जब राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा मांग की जाय तब कोई व्यक्ति जो वीडियो पुस्तकालय रखता है दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा। जिसके अन्तर्गत उस व्यक्ति का जो प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 14 सन् 1957) की धारा 17 के अधीन फिल्म के प्रतिलिप्याधिकार का प्रथम स्वामी है और यदि ऐसा प्रतिलिप्याधिकार उक्त अधिनियम की धारा 18 के अधीन समनुदेशित किया जाय तो ऐसे प्रतिलिप्याधिकार के समनुदेशिती का सम्मति पत्र भी है।

(5) कोई व्यक्ति जिसे वीडियो पुस्तकालय रखने के लिये लाइसेंस दिया गया हो, ऐसे चलचित्र के वीडियो कैसेट से भिन्न चलचित्रों के किसी वीडियो कैसेट को न तो बेचेगा, न संग्रह करेगा, न किराये पर देगा, न वितरित करेगा, न विनियम करेगा और न किसी भी प्रकार से परिचालित करेगा जिनमें ऐसे चलचित्र हों जिन्हें चलचित्र अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 37 सन् 1952) की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये उपयुक्त प्रमाणित किया गया हो और उसे जब प्रदर्शित किया जाय, तब उस प्राधिकारी का नियत चिन्ह संप्रदर्शित करें और जब से उस पर ऐसा चिन्ह लगाया गया हो, उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन न किया गया हो या बिगाड़ा न गया हो।

(6) लाइसेंस गृहीता द्वारा एक रजिस्टर रखा जायगा जिसमें चलचित्रों के समस्त वीडियो कैसेट का पूर्ण अद्यतन अभिलेख होगा।

(7) ऐसा कोई व्यक्ति जिसे वीडियो पुस्तकालय (लाइब्रेरी) रखने के लिए लाइसेन्स दिया गया हो, वीडियो द्वारा प्रदर्शन करने लिये प्राधिकृत लाइसेन्सधारी या घर में देखने के लिए वीडियो कैसेट प्राप्त करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को गतिमान पिक्चरों के किसी वीडियो कैसेटों को न तो बेचेगा, न किराये पर उठायेगा, न भाड़े पर देगा और न उसे वितरित करेगा और न किसी भी रीति से उसका विनियम करेगा। इस आशय का एक प्रमाण-पत्र लाइसेन्सधारी द्वारा उपर्युक्त प्रकार के प्रत्येक संव्यवहार के प्रति संलग्न किया जायगा और ऐसे संव्यवहार से सम्बन्धित प्रत्येक कैश/क्रेडिट मेमो पर उपर्युक्त पृष्ठांकन किया जायगा।

अध्याय—पांच

सामान्य

लाइसेंसगृहीता या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति उपस्थित रहेगा	19—किसी वीडियो चलचित्र का लाइसेंसगृहीता या उसका प्रबन्धक या प्रबन्धकगण जिसका या जिनका नाम लाइसेंस में प्रविष्टि किया गया हो, उस अवधि के दौरान जब वीडियो चलचित्र परिसर जनता के लिये खुला हो, वीडियो चलचित्र के स्थल पर उपस्थित रहेगा/रहेंगे।
लाइसेंस का संप्रदर्शन	20— लाइसेंसगृहीता अपना लाइसेंस यथा स्थिति, ऐसे किसी सहदृश्य स्थान पर जहां वीडियो द्वारा प्रदर्शन आयोजित किया जाये या वीडियो पुस्तकालय के परिसर, में, संप्रदर्शित करेगा।
	21—अग्निशामक इत्यादि को व्यवस्था— वीडियो चलचित्र और चल वीडियो चलचित्र के परिसर में सी0टी0एफ0 का दो किलोग्राम की क्षमता का एक सुवाहय अग्निशामक और 9 लीटर की क्षमता के सोडाएसिड का एक अग्निशामक बालू से भरी हुई एक बाल्टी (9 लीटर) और जल से भरी हुई 4 वाल्टियों (9 लीटर) की व्यवस्था की जायगी।
अपराधों का शमन	<p>22—(1) कोई व्यक्ति जो इस नियमावली या अधिनियम के अधीन अभियोजनीय है या तो अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् किसी समय शमनित किये जाने वाले अपराध के पूर्ण विवरण के साथ आवेदन-पत्र लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है।</p> <p>(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, लाइसेंस प्राधिकारी निरीक्षण अधिकारी से मामले का अभिलेख मंगा सकता है और यदि वह उचित समझे तो ऐसी शमन फीस जैसी लाइसेंस प्राधिकारी उचित समझे किन्तु अपराध के लिये निर्धारित अर्थ-दण्ड की अधिकतम धनराशि से अधिक नहीं, वसूल करने पर ऐसे अपराध के शमन के लिये आदेश दे सकता है।</p> <p>(3) जहां किसी ऐसे अपराध का शमन किया जाय, वहां लाइसेंस प्राधिकारी अपने आदेश की एक प्रति समबद्ध न्यायालय को यह सूचित करते हुए भेजेगा कि अपराध का शमन कर दिया गया है और शमन फीस वसूल कर ली गयी है।</p> <p>(4) शमन फीस सरकारी लेखा में शीर्षक "0045 सामान्य पर अन्य कर एवं शुल्क और सेवा चलचित्र लाइसेंस फीस" के अन्तर्गत उसी रीति से जिससे लाइसेंस शुल्क जमा किया जाता है, जमा की जायगी।</p> <p>(5) शमन फीस सरकारी लेखा में जमा करने के पश्चात् ही अपराध का शमन हो जायगा।</p>
अपील की प्रक्रिया	<p>23—(1) अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) या धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन कोई अपील राज्य सरकार को आदेश तामील होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।</p> <p>(2) अपील के आधार की एक प्रति उसके संलग्नकों सहित इस अधिकारी को भी साथ-साथ भेजी जायगी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाय, जो सरकार को आवश्यक अभिलेख और ऐसी अन्य सूचना, जैसी अपेक्षित की जाय, अपनी टीका सहित भेजेगा।</p> <p>(3) राज्य सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी वह उचित समझे, अस्थायी स्थगन दे सकती है और अपने आदेश की एक प्रति आमोद -कर आयुक्त और सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट को भजेगी।</p>
निरीक्षण	<p>24— निम्नलिखित अधिकारी किसी भी समय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये इस नियमावली के अधीन लाइसेंस प्राप्त किसी वीडियो चलचित्र, वीडियो पुस्तकालय (लायब्रेरी), होटल के परिसर या यान में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है;</p> <p>(एक) आमोद और पणकर विभाग के आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, जिला आमोद कर अधिकारी और निरीक्षक;</p>

	<p>(दो) उपनिदेशक (आमोद कर) राजस्व और अधिसूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश;</p> <p>(तीन) पुलिस अधीक्षक के परामर्श से लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त दो से अनधिक ऐसे पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक के पद से नीचे के न हों;</p> <p>(चार) लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो से अनधिक मजिस्ट्रेट,</p> <p>(पांच) सरकार का विद्युत निरीक्षक;</p> <p>(छः) जिले के उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा का ज्येष्ठतम् वृत्तिक अधिकारी।</p>
	<p>25—प्राधिकृत कैसटों की संवीक्षा :-</p> <p>(एक) वीडियो चलचित्र का लाइसेंसधारी केवल उन्हीं कैसेटों को प्रदर्शित करेगा जिन्हें चलचित्र अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 37 सन् 1952) की धारा-3 के अधीन गठित किसी प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त प्रमाणित किया गया हो और सिनेमाटोग्राफ (सर्टीफिकेशन) रूल्स, 1983 के अधीन प्रपत्र चार-क, पांच-क और छः-क में प्रमाण-पत्र दिया गया हो।</p> <p>(दो) वीडियो चलचित्र का लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राधिकारी को, प्रदर्शित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक फिल्म की पूर्व सूचना उसकी रूपरेखा, उस व्यक्ति की सहमति के साथ देगा जो प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या-14 सन् 1957) की धारा-17 के अधीन प्रतिलिप्याधिकार का प्रथम स्वामी हो और यदि 1957 के उक्त अधिनियम संख्या-14 के अधीन ऐसे प्रतिलिप्याधिकार के समनुदेशिती से ऐसा प्रतिलिप्याधिकार समनुदेशित किया जाय तो प्रस्तावित प्रदर्शन के कम से 48 घंटे पूर्व देगा।</p> <p>(तीन) ऊपर अपेक्षित रूपरेखा और सूचना की एक प्रति चलचित्र में भी रखी जायगी और निरीक्षण के लिये प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण के लिये प्रस्तुत की जायगी।</p>

प्रपत्र—संख्या—एक
(नियम—10 देखिए)

वीडियो द्वारा प्रदर्शन के लिये लाइसेंस हेतु आवेदन—पत्र
(एक) आवेदक का नाम
(दो) पिता का नाम
(तीन) आयु और लिंग
(चार) पता (एक) स्थायी
(सम्यक रूप से सत्यापित)
(दो) वर्तमान पता

2—स्थान का नाम और विवरण:—

ठीक अवस्थिति और मकान संख्या या प्लॉट संख्या, यदि कोई हो, यदि वीडियो द्वारा प्रदर्शन करने का प्रस्ताव हो, और इस स्थानीय क्षेत्र की जनसंख्या जहां वह स्थित हो और सार्वजनिक सेवायान की स्थिति में रस्ट्रीकरण संख्या और चलाने का मार्ग, यदि कोई हो।

3— (क) नियम 10 (2) (एक) के अधीन स्थल नक्शा, दो प्रतियों में,
(दो) नियम 10 (2) (दो) के अधीन भवन नक्शा, दो प्रतियों में;
(तीन) भारतीय तार अधिनियम, 1985 के अधीन वीडियो या टेलीविजन के वाणिज्यिक उपयोग के लिये प्राप्त लाइसेंस की फोटोस्टेट प्रति।
(चार) दस्तावेज जिसमें स्थान, भवन, साधित्र और यान का स्वामित्व या किरायेदारी दिखायी गई हो नियम 10 (2) (चार)
(पांच) भागीदारी फर्म की स्थिति में भागीदारी का नाम और पता

4— वीडियो चलचित्र और चल वीडियो चलचित्र की स्थिति में—

(एक) प्रतिदिन आयोजित किये जाने के लिये प्रस्तावित प्रदर्शनों की संख्या और प्रत्येक प्रदर्शन का समय
(दो) (क) टेलीविजन स्क्रीन,
(ख) वीडियो स्क्रीन, की चौड़ाई
(तीन) बैठने की कुल क्षमता और प्रत्येक श्रेणी के लिये श्रेणीवार बैठने का प्रबन्ध
(चार) प्रत्येक टिकट के लिये कर को सम्मिलित करते हुये प्रवेश की दर
(पांच) प्रबन्धक का, यदि कोई हो, नाम और पता
(छ:) वीडियो द्वारा प्रदर्शन प्रारम्भ करने का प्रस्ताव दिनांक

5— होटल की स्थिति में—

(एक) टेलीविजन स्क्रीन/वीडियो स्क्रीन/वीडियो स्कोप्स की संख्या
(दो) वीडियो कैसेट प्लेयर की संख्या
(तीन) वीडियो द्वारा प्रदर्शन की सुविधा वाले कमरों की प्रस्तावित संख्या
(चार) वीडियो द्वारा प्रदर्शन प्रारम्भ करने का प्रस्तावित दिनांक
(पांच) प्रबन्धक का नाम और पता

6— कोषागार चालान की, जिसके साथ नियत लाइसेंस शुल्क/नवीकरण शुल्क की धनराशि जमा की गई हो, संख्या और दिनांक
दिनांक

सम्यक रूप

आवेदक के हस्ताक्षर
और किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा
से सत्यापित पता

प्रपत्र—दो
(नियम—12 देखिए)

वीडियो चलचित्र और चल वीडियो चलचित्र के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 के अधीन लाइसेंस का प्रपत्र।

संख्या दिनांक

(क)
(वीडियो चलचित्र/चल वीडियो चल चित्र का नाम)

को जो (ख) (स्थान) में जिला में स्थित है उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 3 और उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 के नियम 11 के अधीन ऐसे स्थान के रूप में लाइसेंस दिया जाता है जहां वीडियो द्वारा 19..... से तक जिसमें दोनों दिन सम्मिलित है, प्रदर्शन किया जा सकता है।

लाइसेंस (ग) को दिया गया है और उसे तुरन्त समाप्त कर दिया जायगा यदि उक्त (ग) (नाम) का उक्त (क) का स्वामित्व पट्टे पर रखने या प्रबन्ध करना समाप्त हो जाय।

लाइसेंस उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और निम्नलिखित अग्रतर शर्तों पर दिया जाता है:-

(1) यह कि उक्त (ग) उक्त (क) में ऐसी फिल्म से जिसे चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपर्युक्त प्रमाणित किया गया हो और उसे जब प्रदर्शित किया जाय तब उस प्राधिकारी का नियत चिन्ह संप्रदर्शित करे और जब से उसपर ऐसा चिन्ह लगाया गया हो, उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन न किया गया हो या बिगाड़ा न गया हो, भिन्न कोई फिल्म न तो प्रदर्शित करेगा और न प्रदर्शित करने की अनुमति देगा।

(2) यह कि उक्त (ग) उक्त (क) में ऐसे किसी व्यक्ति को जो वयस्क नहीं है, कोई ऐसी फिल्म न तो प्रदर्शित करेगा और न प्रदर्शित करने की अनुमति देगा जो चलचित्र अधिनियम 1952 की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपर्युक्त प्रमाणित की गयी हो और केवल वयस्कों के लिए हो।

(3) यह कि उक्त (ग) उक्त (क) में—

(1) यौन रोग और यौन विकार को ठीक करने के लिये औषधि के बारे में या निःसन्तान को सन्तान आदि प्राप्त करने में सहायता देने के उद्देश्य से किसी विज्ञापन का और

(2) उक्त (क) के परिसर में कोई अशिष्ट, अश्लील, अनैतिक या उद्दीपक विज्ञापन, चित्र या पोस्टर का न तो प्रदर्शन करेगा और न प्रदर्शन करायेगा।

(4) यह कि उक्त (ग) जिला मजिस्ट्रेट को प्रदर्शन के लिये प्रस्तावित प्रत्येक वीडियो फिल्म की पूर्ववर्ती सूचना और चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र का संक्षेप और संख्या और दिनांक का ब्योरा और वीडियो फिल्म के प्रदायक या वितरक का नाम, प्रस्तावित प्रदर्शन के कम से कम एक सप्ताह पूर्व या लाइसेन्स ग्रहीता के आवेदन-पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किये गये ठोस और पर्याप्त कारणों से प्रस्तावित प्रदर्शन के तीन दिन पूर्व भेजेगा।

परन्तु यदि उक्त (ग) इस शर्त के उपबन्धों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को एक मास की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या इससे कम अवधि में अनेक फिल्मों के सम्बन्ध में कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया हो तो लाइसेन्स ग्रहीता के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह जिला मजिस्ट्रेट को किसी ऐसे परिवर्तन की सूचना दे जिसे वह प्रारम्भ में प्रस्तुत कार्यक्रम में सम्मिलित फिल्म प्रदर्शन के लिये प्रस्तावित दिनांक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करना चाहता हो।

(5) यह कि प्रेक्षागृह में सीटों को कुल संख्या और प्रत्येक श्रेणी के लिये सीट संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट संख्या से न तो अधिक होगी और न अग्निशामक साधित्र, एकजास्ट पंखे, बिजली के पंखे या स्वच्छता सम्बन्धी आवश्यकतायें उसमें विनिर्दिष्ट संख्या और विवरण से कम होंगी।

(6) यह कि उक्त (ग) किसी ऐसे फोटो, चित्र या पोस्टर को न तो संप्रदर्शित करेगा और न संप्रदर्शित करायेगा जिसमें कोई ऐसा दृश्य या शार्ट चित्रित या प्रदर्शित हो या प्रदर्शित करने का उद्देश्य हो जिसे बोर्ड आफ सर्टिफिकेशन या केन्द्रीय सरकार के आदेश से किसी फिल्म से काट दिया गया हो।

(7) यह कि 9 बजे पूर्वान्ह से 12.30 बजे मध्यान्ह के बीच दैनिक प्रदर्शन (शो) की संख्या पर कोई निर्बन्धन नहीं होगा और कि कोई प्रदर्शन (शो) लाइसेन्स प्राधिकारी की विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना जो अत्यन्त आपवादिक परिस्थितियों में ही दी जायेगी, 9 बजे पूर्वान्ह के पूर्व और 12.30 बजे मध्यान्ह के पश्चात् आयोजित नहीं किया जायेगा।

(8) यह कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कार्यदिवस में 3.00 बजे अपरान्ह के पूर्व आयोजित प्रदर्शन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

टिप्पणी— माता पिता या संरक्षकों के साथ आने वाले 5 (पांच) वर्ष तक की आयु के शिशुओं को इस निर्बन्धन से छूट दी जायेगी। यह निर्बन्धन अवकाश के दिनों पर भी लागू नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिये अवकाश के दिनों के अन्तर्गत रविवार, राजपत्रित अवकाश और शैक्षिक संस्थाओं के लिये विहित अवकाश और दीर्घावकाश भी होंगे।

(9) यह कि 14 (चौदह) वर्ष से कम आयु के किशोरों को 9.00 बजे रात्रि और उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले रात्रि प्रदर्शन में प्रवेश करने की अनुमति तबतक नहीं दी जायेगी, जबतक की उनके साथ उनके माता—पिता या संरक्षक न हों।

(10) यह कि उक्त (ग) या प्रदर्शन के प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी कोई अन्य व्यक्ति उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों से सम्बंधित किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करेगा।

(11) यह कि प्रत्येक प्रदर्शन में प्रदर्शित मुख्य फीचर फिल्म का नाम उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर नियमावली—1981 के नियम 13 के अधीन प्रत्येक प्रदर्शन के लिये तैयार किये प्रपत्र “ख” के विवरण—पत्र में अंकित किया जायेगा और लाइसेन्स गृहीता इस प्रकार अंकित किये गये प्रदर्शन से भिन्न किसी प्रदर्शन में कोई फीचर फिल्म न तो प्रदर्शित करेगा और न प्रदर्शित करने की अनुज्ञा देगा।

(12) यह कि ध्वनि और प्रकाश का प्रबन्ध ऐसा होगा कि प्रदर्शन के दौरान सभी समय पर सभी लोग भली—भांति देख और सुन सकें और सीटों की मरम्मत कराकर उन्हें हमेशा अच्छी दशा में रखा जायेगा।

(13) यह कि स्थायी वीडियो चलचित्र की समस्त दीवारें और फर्श सर्वदा साफ रखे जायेंगे, प्रतिदिन कम से कम एक बार विसंक्रामक से धुलाई की जायेगी और फर्श से 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक समस्त दीवार को प्रतिमास कम से कम एक बार तेज विसंक्रामक से साफ किया जायेगा।

(14) बैठने की क्षमता की 50 सीट के लिये कम से कम दो पीकदान और प्रत्येक 20 सीट के लिये एक अतिरिक्त पीकदान की व्यवस्था उचित स्थानों पर की जायगी। पीकदानों में तेज विसंक्रामक होगा और उन्हें समय—समय पर खाली करके साफ किया जायगा। ऐसे पीकदानों का उपयोग करने की सूचना प्रमुख स्थानों पर संप्रदर्शित की जायगी।

(15) यह कि उक्त (ग) या उसका प्रबन्धक उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली, 1981 के अनुसार प्रपत्र “ख” के विवरण पत्र तैयार करने के पश्चात् दस मिनट के भीतर रजिस्टर से मूल पृष्ठ तुरन्त हटा लेगा और उसे आमोद कर निरीक्षण या जिला आमोद कर अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रदर्शन के प्रमुख स्थान पर लटकाये गये टिन की पेटी में रखेगा। उक्त पेटी की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उक्त (ग) या उसके प्रबन्धक का होगा जो पेटी की चाबी अपने पास रखेगा और मांग करने पर निरीक्षण अधिकारी के समक्ष उपर्युक्त प्रपत्र—ख विवरण—पत्र प्रस्तुत करेगा।

दिनांक 19

लाइसेन्स प्राधिकारी

अनुसूची

- 1— कुल स्वीकृत बैठने की क्षमता (सीटों की श्रेणीवार अलग—अलग संख्या, यदि कोई हो)
- 2— टी0वी0 स्क्रीन/वीडियो स्क्रीन/वीडियो स्कोप स्क्रीन का आकार।
- 3— छत पंखों या बैकेट पंखों की संख्या और उनका आधार और विवरण।
- 4— एकजास्ट पंखों की संख्या और उनका आकार और विवरण।
- 5— पुरुषों और महिलाओं के लिये मूत्रालयों और शौचालयों की संख्या।

- 6— अग्निशमन प्रबन्ध का ब्योरा—
 (एक) सी0टी0सी0 अग्निशामक ।
 (दो) सोडा एसिड अग्निशामक ।
 (तीन) बालू की बाल्टियां ।
 (चार) पानी की बाल्टियां ।

लाइसेन्स

प्राधिकारी

प्रपत्र तीन
(नियम 12 देखें)

होटल, जलपान गृह और सार्वजनिक सेवा यान के लिये उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1987 के अधीन लाइसेन्स का प्रपत्र।

संख्या दिनांक (होटल/जलपान गृह का नाम/मोटर यान अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक सेवायान की स्थिति में रजिस्ट्रीकरण संख्या) को जो (ख) (स्थान) में जिला में स्थित है उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 3 और उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली 1988 के नियम 11 के अधीन ऐसे स्थान के रूप में लाइसेन्स दिया जाता है जहां
.....19.....से तक जिसमें दोनों दिन सम्मिलित है, वीडियो द्वारा प्रदर्शन किया जा सकता है।

लाइसेन्स (ग) (नाम)..... को दिया गया है और उसे तुरन्त समाप्त कर दिया जायेगा यदि उक्त (ग) का उक्त (क)
..... का स्वामित्व, पट्टे पर रखना या प्रबन्ध करना समाप्त हो जाय।

लाइसेन्स उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और निम्नलिखित अग्रतर शर्तों पर दिया जाता है :—

(1) यह कि उक्त (ग) उक्त (क).....
.....में ऐसे फिल्म से, जिसे चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये उपयुक्त प्रमाणित किया गया हो और उसे जब प्रदर्शित किया जाय तक उस प्राधिकारी को नियम चिन्ह संप्रदर्शित करे और जब से उस पर ऐसा चिन्ह लगाया गया हो उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन न किया गया हो या बिगाड़ा न गया हो, भिन्न कोई फिल्म न तो प्रदर्शित करेगा और न प्रदर्शित करने की अनुमति देगा।

(2) यह कि उक्त (ग)..... उक्त (क)में
ऐसे किसी व्यक्ति को जो वयस्क नहीं है, कोई ऐसी फिल्म न तो प्रदर्शित करेगा और न प्रदर्शित करने की अनुमति देगा जो चलचित्र अधिनियम 1952 की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये उपयुक्त प्रमाणित की गयी हो और केवल वयस्कों के लिये हो।

(3) यह कि उक्त (ग) उक्त (क).....में.....

(1) यौन रोग और यौन विकार को ठीक करने लिये औषधि के बारे में या निःसन्तान को सन्तान

आदि प्राप्त करने में सहायता देने के उद्देश्य से किसी विज्ञापन का, और

(2) उक्त (क).....के परिसर में कोई अशिश्ट, अनैतिक या उद्दीपन विज्ञापन चित्र या पोस्टर का न तो प्रदर्शन करेगा और न प्रदर्शन करायेगा।

(4) यह कि लाइसेन्स गृहीता.....काल क्रमानुसार नियमित रूप से एक रजिस्टर रखेगा जिसमें वीडियो फिल्म का नाम और शीर्षक, चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र की संख्या और उसका दिनांक और प्रत्येक प्रदर्शन में उसके द्वारा प्रदर्शित उक्त फिल्म के प्रदायक या वितरक का नाम दिखाते हुए अद्यावधिक प्रविष्टियां होंगी और उक्त रजिस्टर निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगा और विहित निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जायगा।

(5) यह कि उक्त (ग) किसी ऐसे फोटो, चित्र या पोस्टर को न तो संप्रदर्शित करेगा और न संप्रदर्शित करायेगा जिसमें कोई ऐसा दृश्य या शार्ट चित्रित या प्रदर्शित हो या प्रदर्शित करने का उद्देश्य हो जिसे बोर्ड आफ फिल्म सर्तीफिकेशन या केन्द्रीय सरकार के आदेश से किसी फिल्म से काट दिया गया हो।

(6) यह कि ध्वनि और प्रकाश का प्रबन्ध ऐसा होगा कि प्रदर्शन के दौरान सभी समय पर सभी लोग भली-भांति देख और सुन सकें और सीटों की मरम्मत कराकर उन्हें हमेशा अच्छी दशा में रखा जायगा।

दिनांक

लाइसेन्स प्राधिकारी।

प्रपत्र-चार

[नियम 17 (3) देखिये]

वीडियो पुस्तकालय रखने के लिये लासेन्स—

- 1- लाइसेन्सगृहीता का नाम और पता
- 2- यदि लाइसेन्स गृहीता स्थान या भवन का स्वामी न हो तो उसके स्वामी का नाम और पता:
- 3- स्थान या भवन की अवस्थिति-
- 4- पुस्तकालय के कारबार का समय-
- 5- अवधि जिसके लिये लाइसेन्स दिया जाय-

लाइसेन्स की शर्तें

यह लाइसेन्स उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है:-

(1) कोई विहित प्राधिकारी यह देखने के लिये कि लाइसेन्स की शर्तों का पालन किया जाता है या नहीं कारबार के समय उक्त परिसर में निर्बाध जा सकेगा।

(2) लाइसेन्सगृहीता अपने कब्जे की प्रत्येक फिल्म के सम्बन्ध में, जब नियमावली के अधीन विहित किसी अधिकारी द्वारा मांग की जाय, तब उस व्यक्ति का, जो प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 14 सन् 1957) की धारा 17 के अधीन प्रतिलिप्याधिकार का प्रथम स्वामी है, और यदि ऐसा प्रतिलिप्याधिकार उक्त अधिनियम की धारा 18 के अधीन समनुदेशित किया जाय तो ऐसे प्रतिलिप्याधिकार के समनुदेशिती असम्मति पत्र प्रस्तुत करेगा।

(3) लाइसेन्सगृहीता ऐसी फिल्म से, जिसे चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये उपयुक्त प्रमाणित किया गया हो, और उसे जब प्रदर्शित किया जाय, तब उस प्राधिकारी का नियत चिन्ह संप्रदर्शित करे और जब से उस पर ऐसा चिन्ह लगाया गया हो, उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन न किया गया हो या बिगाड़ा न गया हो, भिन्न कोई फिल्म न तो बेचेगा, न किराये पर लेगा न किराये पर देगा, न वितरित करेगा, न आदान-प्रदान करेगा और न परिचालित करेगा।

(4) कि लाइसेन्सगृहीता नियत रजिस्टर नियमित रूप से रखेगा।

(5) कि लाइसेन्स गृहीता लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा नियत समय के भीतर ऐसी सूचना देगा और ऐसी मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जो उसके द्वारा अपेक्षित हो।

दिनांक

लाइसेंस प्राधिकारी।

आज्ञा से
जी0 गणेश,
सचिव।